झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–164/2017 का०–**12015**/राँची, दिनांक **08** दिसम्बर, 2017

श्री चन्दन, झा0प्र0से0 (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–5337, दिनांक 18.10.2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर उपलब्ध कराते हुए श्री चन्दन को निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त आरोपों हेतु श्री चन्दन को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है। जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08.12.17

(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक5/आरोप–1–164/2017 का०–**12015**/राँची, दिनांक **08** दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, हजारीबाग/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6(चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/श्री चन्दन, झा0प्र0से0, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव।